संख्या-22/61-2022

प्रेषक,

अजय कुमार शुक्ला,
सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

मुख्य निर्वाचन अधिकारी,
उ0प्र0, लखनऊ।

निर्वाचन अनुभाग लखनऊ : दिनॉक 12 जुलाई , 2022

विषयः- कार्यालय मुख्य निर्वाचन अधिकारी उ0प्र0 में अनुवादकों की तैनाती किए जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-138/सी0ई0ओ0-1-132/1-2012, दिनॉक 11 जनवरी, 2022 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से निर्वाचन अनुभाग के शासनादेश संख्या-22/2016/586/61-2016-132/1-2012 (निर्वा0-1) दिनॉक 21-07-2016 में मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय हेतु तालिका के क्रम संख्या-14 एवं 15 पर उल्लिखित "अनुवादक (अंग्रेजी से हिन्दी)" तथा "अनुवादक (हिन्दी से अंग्रेजी)" के पदों की भर्ती का स्रोत "संविदा पर" के स्थान पर "आउटसोर्सिंग के माध्यम से" किये जाने का अनुरोध किया गया है।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि आपके उक्त संदर्भित पत्र दिनॉक 11-01-2022 द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव पर सम्यक विचारोपरान्त निर्वाचन अनुभाग के शासनादेश संख्या-22/2016/586/61-2016-132/1-2012 (निर्वा0-1) दिनॉक 21-07-2016 के साथ संलग्न तालिका के क्रम संख्या-14 एवं 15 पर उल्लिखित क्रमशः "अनुवादक (अंग्रेजी से हिन्दी)" तथा "अनुवादक (हिन्दी से अंग्रेजी)" के पदों की भर्ती का स्रोत "संविदा पर" के स्थान पर "आउटसोर्सिंग के माध्यम से" किये जाने की राज्यपाल महोदया सहर्ष स्वीकृति प्रदान करती हैं।

3- निर्वाचन अनुभाग का उक्त शासनादेश संख्या-22/2016/586/61-2016-132/1-2012 (निर्वा0-1) दिनॉक 21-07-2016 इस सीमा तक संशोधित समझा जाए।

4- यह आदेश वित्त विभाग की अशासकीय संख्या-E-12-102-X-2022-23, दिनांक 08-07-2022 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किए जा रहे हैं।

भवदीय,

(अजय कुमार शुक्ला)
सचिव।

संख्या-22(1)/61-2022, तददिनॉक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- महालेखाकार (प्रथम), उ0प्र0 इलाहाबाद।

2- प्रधान सचिव, भारत निर्वाचन आयोग, नई दिल्ली।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट :shasanadesh.up.gov.in... से सत्यापित की जा सकती है

http://shasanadesh.up.gov.in

3- प्रमुख सचिव, नियुक्ति/ वित्त विभाग/ राजस्व विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।

4- समस्त जिलाधिकारी/ जिला निर्वाचन अधिकारी, उत्तर प्रदेश।

5- समस्त उप जिला निर्वाचन अधिकारी/सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी, उ0प्र0।

6- समस्त वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, उत्तर प्रदेश।

7- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-12/ वित्त (वेतन-आयोग) अनुभाग-1 व 2

8- संयुक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तर प्रदेश।

9- बजट सहायक, कार्यालय मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तर प्रदेश।

10- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

ह0/-

(अच्युतानन्द)

अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट :shasanadesh.up.gov.in... से सत्यापित की जा सकती है